तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली अवलोकन करने पर जवाब सम्मन पत्रावली पर संलग्न पाया गया। बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26-2-26 को पेश हो।
26-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित बास्ते आदेश पत्रावली 6-3-26 को पेश हो।
6-3-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला—बून्दी(राज0)

116/दावा/2024
दायरा दिनांक 23.09.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. सुखदेव आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 हाल निवासी शिवशंकर किराना स्टोर इन्द्रागांधी नगर कोटा राज0।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टीनेन्सी एक्ट
अधिवक्ता श्री विनोद बैरवा एडवोकेट (वादी)

—:निर्णय:—

दिनांक 06.03.2026

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0सं0 276 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0सं0 794 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 0.74 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त आराजी पेतृक सम्पति है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है तथा अन्य सह खातेदारान का भी उनके हिस्सा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता गंगाराम है किन्तु सवहन से वादी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर गंगोलिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जिसकी वजह से वादी को अपने खाते की कृषि भूमि को उन्नत किस्म की बनाने मे तथा वित्तीय संस्थाओं से अपनी कृषि भूमि पर ऋण आदि लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पडता है। जबकि वादी के सभी अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आदि में पिता का नाम गंगाराम ही दर्ज है। इस कारण वादी को राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्ती करवाना आवश्यक है।

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादी सरकार से मिलने वाले सभी लाभो से वंचित हो रहा है। इस कारण वादी ने कई बार राजस्व कर्मचारियों व प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादी के पिता का नाम सही नाम गंगोलिया के स्थान पर गंगाराम अंकित करने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी टालमटोल करते रहे तथा अन्तिम बार वादी द्वारा वादी के पिता का नाम दुरूस्त कर गंगोलिया के स्थान पर गंगाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को सही करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 22.08.2024 को निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी ने ऐसा करने से मना कर दिया इस कारण वादी न्यायालय की शरण में आया। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम गंगोलिया के स्थान पर गंगाराम दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 ग्राम गुहाटा के खाता संख्या 24 के अनुसार ख0सं0 112 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख0सं0 600 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वादी के पिता गंगोलिया आ0 रामचन्द्र के नाम से खातेदारी मे दर्ज है जिसके वर्तमान ख0सं0 794 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0सं0 276 रकबा 0.51 हैक्टर वादी सुखदेव पुत्र गंगोलिया हिस्सा 1/2 व वादी के भाई के वारिसान के नाम से खातेदारी में दर्ज है जिससे वाद वर्णित भूमि पेतृक होना प्रमाणित होता है आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी के पिता का नाम गंगाराम अंकित है तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार गंगोलिया व गंगाराम एक ही व्यक्ति है ग्रामवासी आम बोलचाल में गंगाराम को ही गंगोलिया के नाम से पुकारते थे साथ ही सुखदेव आ0 गंगोलिया के स्थान पर सुखदेव आ0 गंगाराम करने की अभिशंषा की गई है।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2026–2030, नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077, मिसल बन्दोबस्त अप्रैल 1995 से मार्च 2015, स्वंय का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के पिता का वास्तविक नाम गंगाराम था राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय सहवन से गंगाराम के स्थान पर गंगोलिया दर्ज कर दिया गया जिसको राजस्व रिकार्ड में शुद्व कर गंगोलिया के स्थान पर गंगाराम दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ का जवाब दावा एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किए जाने पर वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2026–2030 में गंगोलिया पिता रामचन्द्र के खातेदारी में दर्ज थी। फौती इन्तकाल से वादी के आना स्पष्ट है जवाब सरकार द्वारा गंगोलिया एंव गंगाराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया गया है। अतः वादी का वाद न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह वाद वर्णित आराजी खाता सं0 273 ख0सं0 276 रकबा 0.51 हैक्ट0, ख0सं 794 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम सुखदेव पुत्र गंगोलिया को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर सुखदेव आ0 गंगोलिया उर्फ गंगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को शुद्व किया जावे। तदनानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(O 20, R 6,7)

(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............ मुकाम............लाखेरी व इजलास........श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर0ए0एस)..
....

1. सुखदेव आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 हाल निवासी शिवशंकर किराना स्टोर इन्द्रागांधी नगर कोटा राज0।

–वादी

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

कमशः पुस्तपर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टीनेन्सी एक्ट

मुकदमा नम्बर ....116/दावा/2024........................ सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे................. व हाजिरी .... श्री विनोद बैरवा एडवोकेट,...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू........................ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि–

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह वाद वर्णित आराजी खाता सं0 273 ख0सं0 276 रकबा 0.51 हैक्ट0, ख0सं 794 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम सुखदेव पुत्र गंगोलिया को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर सुखदेव आ0 गंगोलिया उर्फ गंगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

निज..............................मुबलिग...बाबत...खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **06** माह **03** सन् **2026** को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।